राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, पीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 377/2025

रामावतार यादव **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विद्यालय, शिक्षा विभाग, जयपुर, राजस्थान।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान।
3. संयुक्त निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, अजमेर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारंभिक शिक्षा, ब्यावर।
5. प्रधानाचार्य राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कोलपूरा, ब्लॉक रायपूर, ब्यावर।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, ब्यावर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 05.02.2025
आदेश की दिनांक : 11.02.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री बिंजाराम जाजरा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : लेखराज तोसावाड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड लेवल III के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, कोलपूरा, ब्लॉक रायपूर, ब्यावर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 16.12.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को अधिशेष मानते हुए स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मूंडावर ब्लॉक जैतारण में 80 किलोमीटर दूर राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 289 का उल्लंघन करते हुए स्थानांतरित किया गया है। जिसके तहत जिला स्थापना समिति स्वीकृति के पश्चात ही किसी कार्मिक का स्थानांतरण किया जा सकता है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पंचायती राज नियम 1996 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए स्थानांतरण आदेश जारी किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.02.2019 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड–III लेवल–I के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कानूजा ब्लॉक रायपुर जिला पाली में नियुक्त किया गया था। जहां पर

अपीलार्थी ने दिनांक 18.02.2019 को कार्यभार ग्रहण कर लिया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 23.07.2019 के द्वारा स्टाफिंग पैर्टन के पश्चात अपीलार्थी को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कोलपुरा, ब्लॉक बाबरा, जिला पाली में पदस्थापित करने के निर्देश दिए गए, जहां पर अपीलार्थी ने 30.07.2019 (अनुलग्नक–3) को कार्यभार ग्रहण कर लिया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 26.07.2021 (अनुलग्नक–4) के द्वारा अपीलार्थी का स्थाईकरण एवं वेतन नियमितिकरण किया गया। परिवीक्षाकाल अविध पूर्ण होने के पश्चात प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 के परिपत्र दिनांक 14.11.2024 (अनुलग्नक–5) के द्वारा जारी अधिशेष कार्मिकों के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों के विपरीत जाकर अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया। जिसके तहत बिंदु संख्या 15 अधिशेष शिक्षकों/कार्मिकों का समायोजन रिक्तियों के निम्नांकित क्रम में किया जावे :–

i. उसी विद्यालय में पद रिक्त होने पर
ii. उसी राजस्व ग्राम में पद रिक्त होने पर
iii. उसी राजस्व ग्राम में पद रिक्त नहीं होने पर, उसी ग्राम पंचायत के अन्य विद्यालय में पद रिक्त होने पर
iv. ग्राम पंचायत में पद रिक्त नहीं होने पर, उसी ब्लॉक में स्थित अन्य विद्यालय में रिक्त पद पर
v. संबंधित ब्लॉक में पद रिक्त नहीं होने पर उसी ब्लॉक में स्थित अन्य विद्यालय में रिक्त पर पर यथासंभव निकट के ब्लॉक के विद्यालय में।

3. अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष दिनांक 20.12.2024 (अनुलग्नक–6) के द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बाड़िया, मसूदा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, मात का बाड़िया, मसूदा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, गुवारड़ी, मसूदा एवं राजकीय प्राथमिक विद्यालय, नारायणपुरा, झूठो का बाड़िया, मसूदा में अध्यापक ग्रेड–III, लेवल–I के पद रिक्त है, में से किसी भी पद पर लगाये जाने का निवेदन किया। माननीय अधिकरण में दायर अपील संख्या 219/2025 प्रेम शंकर पटेल बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 27.01. 2025 (अनुलग्नक–7) का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण समान बताया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 16. 12.2024 को अपास्त किया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान अध्यापक ग्रेड–III, लेवल–I के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, कोलपुरा, ब्लॉक रायपुर जिला ब्यावर में या अपीलार्थी द्वारा दिये गये अभ्यावेदन में दिये गये रिक्त पदों में से किसी भी पद पर पदस्थापित करने के आदेश फरमाये जावे।

4. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओं की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन कर मनन किया गया। प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड लेवल III के

पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, कोलपूरा, ब्लॉक रायपूर, ब्यावर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 16.12.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को अधिशेष मानते हुए स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मूंडावर ब्लॉक जैतारण में पदस्थापित किया गया है। जहां तक प्रत्यर्थी संख्या 2 के परिपत्र दिनांक 14.11.2024 (अनुलग्नक–5) के द्वारा अधिशेष कार्मिकों के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों बिंदु संख्या 15 में अंकित प्रावधानों के द्वारा अधिशेष शिक्षकों/कार्मिकों का समायोजन रिक्तियों पर किये जाने का प्रश्न है ऐसे में हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समक्षते है कि अपीलार्थी सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन आदेश की दिनांक से 2 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 4 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण किये जाने तक अपीलार्थी के संबंध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 16.12.2024 (अनुलग्नक–5) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वही कार्यरत रखा जावें जहाँ वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य